



थाना शेरकोट पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही में 16 वर्षों से मफरूर/25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित सहित 02 अभियुक्तगण लूट/चोरी की योजना बनाते अवैध शस्त्रो सहित गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी अफजलगढ के निकट पर्यवेक्षण मे थाना शेरकोट पुलिस द्वारा दिनांक 16.06.21 को मुखबिर की सूचना पर मौ० नौधना में कब्रिस्तान के पास लूट/चोरी की योजना बनाते हुये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये गये तो अभियुक्तगण द्वारा अपने साथियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया । पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये अभियुक्तगण 1- अनीस उर्फ टुईया पुत्र खलील नि० मौ० खुराडा कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर 2- इकबाल उर्फ भूरा पुत्र अब्दुल गफ्फूर नि० मौ० नई बस्ती जसपुर रोड थाना ठाकुरद्वारा जिला मु०बाद को अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया । इनका एक साथी नसीम उर्फ कलवा पुत्र याकूब नि० मौ० शेखजादा थाना बछरावा जिला अमरोहा मौके का फायदा उठाकर भाग गया । इस सम्बन्ध मे थाना शेरकोट पर मु०अ०स० – 110/21 धारा 307/401 भादवि बनाम अनीस आदि 03 नफर, मु०अ०स०-111/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनीस व मु०अ०स०-112/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। **अभियुक्तगण शातिर किरम के आदतन अपराधी है । अभियुक्त अनीस उर्फ टुईया उपरोक्त 16 वर्षों से मफरूर चल रहा था । जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा 25000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।**



गिरफ्तार किये गये अभि० का नांम व पता –

- 1- अनीस उर्फ टुईया पुत्र खलील नि० मौ० खुराडा कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2- इकबाल उर्फ भूरा पुत्र अब्दुल गफ्फूर नि० नई बस्ती जसपुर रोड थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1. 02 अदद तमन्चे 315 बोर
2. 02 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास- (अनीस उर्फ टुईया उपरोक्त)

- 1- मु०अ०स०- 53/83 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जिला बिजनौर
- 2- मु०अ०स०- 30/84 धारा 379/411 भादवि थाना शेरकोट बिजनौर
- 3- मु०अ०स०-17/85 धारा 394/304 भादवि थाना शेरकोट बिजनौर

- 4- मु0अ0स0-18/ 85 धारा 307 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 5- मु0अस0 23/85 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 6- मु0अ0स0-43/90 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 7- मु0अ0स0-98/90 धारा 380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 8- मु0अ0स0-206/92 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 9- मु0अ0स0 -60/93 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 10- मु0अ0स0-03/95 धारा 302/394 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 11- मु0अ0स0-49/95 धारा 380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 12- मु0अ0 स0-86/95 धारा 380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 13- मु0अ0स0 -87/95 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 14- मु0अ0स0-83/96 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 15- मु0अ0स0-334/96 धारा 457/380 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 16- मु0अ0स0-177/15 धारा 380/457/411 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 17- मु0अ0स0-185/15 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 18- मु0अ0स0 -117/16 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 19- मु0अ0स0-110/21 धारा 307/401 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 20- मु0अ0स0-111/21 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 21- मु0अ0स0-112/21 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास- (इकबाल उर्फ भूरा उपरोक्त)

1. मु0अ0स0- 29/06 धारा 379/411 भादवि थाना शेरकोट जिला बिजनौर
2. मु0अ0स0- 177/15 धारा 380/457 भादवि थाना शेरकोट बिजनौर
3. मु0अ0स0-184/15 धारा 394/411 भादवि थाना शेरकोट बिजनौर
4. मु0अ0स0-117/16 धारा 2/3 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0-110/21 धारा 307/401 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

पुलिस टीम -

1. श्री अनुज कुमार थानाध्यक्ष शेरकोट बिजनौर
2. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना शेरकोट बिजनौर
3. उ0नि0 श्री जसबीर सिंह थाना शेरकोट बिजनौर
4. का0 467 प्रशान्त कुमार थाना शेरकोट बिजनौर
5. का0 862 सुजीत कुमार थाना शेरकोट बिजनौर
6. का0 21 सत्यवीर सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

थाना धामपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग का वाँछित/15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार ।

थाना धामपुर निवासी युवती को 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को अतुल वर्मा (रस्तौगी) स्व0 आदर्श वर्मा निवासी मौ0 खत्रियान बडा मंदिर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर घुमाने के बहाने हरिद्वार लेकर गया , जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया तथा अपने मोबाईल से अश्लील फोटो भी खीचें । इन फोटो को वायरल करने की धमकी देते हुये अभियुक्त अतुल वर्मा उपरोक्त भिन्न – भिन्न नंबरो से किशोरी को ब्लैकमैल करने के इरादे से फोन कर रहा था । किशोरी द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की बातों से इंकार किये जाने पर उसके फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दिये । इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 117/21 धारा 363/376/504/506 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम तथा धारा 67 आईटी एक्ट बनाम अतुल शर्मा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहा था । जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 15000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।



इसी क्रम में दिनांक 15.06.2021 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 117/21 धारा 363/376/504/506 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट व 67 आईटीएक्ट का वाँछित/15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी अतुल रस्तौगी पुत्र स्व0 आदर्श रस्तौगी निवासी मौ0 खातियान बडा मंदिर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी वर्तमान मकान म0न0 E 5-335 गली न0 5 पांचवा पुस्ता सोनिया विहार नोर्थ ईस्ट नई दिल्ली को सोनिया विहार दिल्ली से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का नाम व पता:-

अतुल रस्तौगी पुत्र स्व0 आदर्श रस्तौगी निवासी मौ0 खातियान बडा मंदिर कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम –

1. अपराध निरीक्षक श्री राजेश कुमार तिवारी
2. उ0नि0 श्री आशीष कुमार
3. का0 2335 विजय कुमार

थाना नांगल:- थाना नांगल अभियुक्त सत्तार पुत्र इब्राहिम निवासी भानिया थाना डोईवाला जनपद हरिद्वार को एक अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया । जिस संबंध में मु0अ0सं0 47/21 धारा 3/25 आर्म एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

